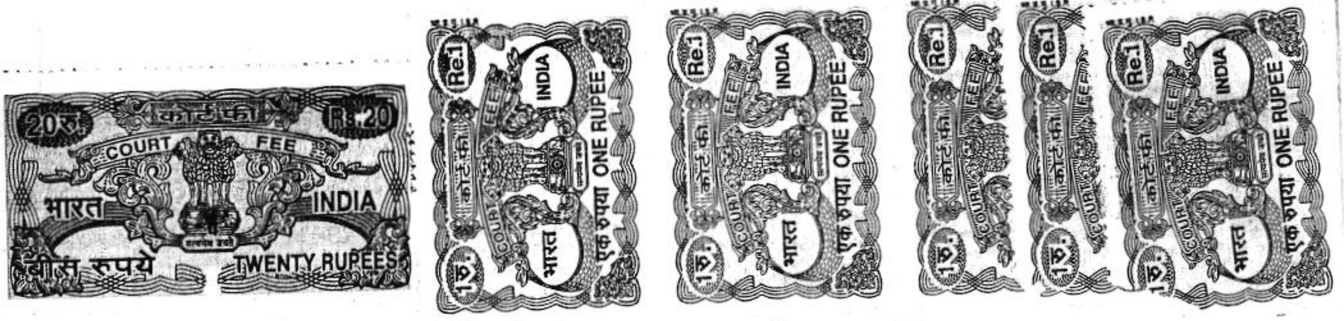

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला-सीधी R 4052-II-16

रामकृष्ण पुत्र श्री हरिहरराम, निवासी– ग्राम मिश्रगंवा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.) -- आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला सीधी (म0प्र0)
2. रामखिलावन पुत्र श्री शम्भूराम तिवारी,
3. श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री रामखिलावन तिवारी
4. दामोदर प्रसाद पुत्र रामकृष्ण तिवारी, निवासीगण – ग्राम मिश्रगंवा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

श्री ______ द्वारा दि 2-12-16 को प्रस्तुत 2-12-16
राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

649
2-12-16

02/12/16

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/पुर्नाविलोकन/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम कोठार की भूमि खसरा क्रमांक 159 रकवा 2.444 है0 एवं आराजी क्रमांक 183 स्थित ग्राम कोठार जो पूर्व में आवेदक के पिता एवं अनावेदक क्रमांक 4 के बाबा हरिहरराम के नाम रही है। वापसी पारिवारिक

(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/4052/II/16, सीधी, रामकृपाल / शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 01/पुनर्विलोकन/16-17 में पारित आदेश दिनांक 23/11/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	